न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, उदयपुर

पीठासीन अधिकारीः एल0एन0मंत्री, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या – 94 / 2021 अपील / चित्तौड़गढ़ (GCMS 2021/104)

पंजीयन दिनांक– 25.02.2021

निर्णय दिनांक– 22.07.2021

1. श्री अनिल कुमार पिता राधेश्याम सुखवाल, निवासी राजीव नगर, कच्ची बस्ती, गांधीनगर, चित्तौड़गढ़, तहसील व जिला चित्तौड़गढ़।
2. श्री सुनिल कुमार पिता राधेश्याम सुखवाल, निवासी राजीव नगर, कच्ची बस्ती, गांधीनगर, चित्तौड़गढ़, तहसील व जिला चित्तौड़गढ़।

–अपीलांट्स

बनाम

1. श्री राधेश्याम पिता विठ्ठल दत्त भट्ट, निवासी प्रतापनगर, चित्तौड़गढ़, तहसील व जिला चित्तौड़गढ़।
2. नगर विकास प्रन्यास, चित्तौड़गढ़, जरिये सचिव, नगर विकास प्रन्यास, चित्तौड़गढ़।

–रेस्पोडेंट्स

उपस्थितिः–

1. श्री सम्पतलाल बोहरा	–अधिवक्ता अपीलांट्स
2. श्री एस. पी. व्यास	–अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 1
3. श्री नरेश जणवा	–अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 2

अपील अन्तर्गत धारा– 90ए भू–राजस्व अधिनियम 1956, विरूद्ध प्राधिकृत अधिकारी एवं सचिव, नगर विकास प्रन्यास, चित्तौड़गढ़ के प्रकरण संख्या (योजना) 02 / 2015 दिनांक 24.12.2020

निर्णय

दिनांक 22.04.2021

अपीलांट द्वारा यह अपील अंतर्गत धारा 90ए राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध निर्णय प्राधिकृत अधिकारी एवं सचिव, नगर विकास प्रन्यास, चित्तौड़गढ़ के प्रकरण संख्या (योजना) 02 / 2015 निर्णय दिनांक 24.12.2020 के विरूद्ध दिनांक 25.02.2021

को मय प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम एवं प्रार्थना बाबत स्थगन के साथ पेश की गई।

इस प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट्स श्री अनिल कुमार, सुनिल कुमार पिता राधेश्याम सुखवाल के पक्ष में राजस्व ग्राम सेंती की आराजी नम्बर 1414, 1415, 1416 एवं 1417/2 में आवंटित भूखण्ड संख्या 22 क्षेत्रफल 2000 वर्गफीट के पट्टा विलेख संख्या 08/2017 दिनांक 26.04.2017 विधि विपरीत तथ्यों को छिपा कर कुटरचित अभिलेखों के आधार पर प्राप्त करना पाया जाने से अधीनस्थ न्यायालय प्राधिकृत अधिकारी एवं सचिव, नगर विकास प्रन्यास, चित्तौड़गढ़ द्वारा प्रकरण संख्या/(योजना) /02/2015 निर्णय दिनांक 24.12.2020 से निरस्त किया जाने से असंतुष्ट होकर अपीलांट्स द्वारा यह अपील पेश की गई।

उक्त निर्णय से व्यथित होकर अपीलांट्स द्वारा यह अपील पेश की गई है।

यह अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन सूचित किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय से अभिलेख मंगवाया गया। अपीलांट की ओर से अधिवक्ता श्री सम्पतलाल बोहरा उपस्थित व रेस्पोडेंट संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री एस. पी. व्यास उपस्थित। रेस्पोडेंट संख्या 2 की और से अधिवक्ता श्री नरेश जणवा उपस्थित। उपस्थित अधिवक्ताओं की बहस दिनांक 08.07.2021 को सुनी गई।

अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी लिखित बहस पेश कर बताया कि कथित प्लॉटों की लिस्ट उप रजिस्ट्रार सहकारी समितियां, चित्तौड़गढ़ में इसका सर्वे प्लॉन बता रखा है जिसमें सभी प्लॉटों को दर्शा रखा है तथा उसकी लिस्ट भी दर्ज कर रखी है जिसके क्रम संख्या 36 में प्लॉट 12, 15, 22 व 23 को अपीलांट के पिता का होना

दर्शा रखा है तथा इस 22 नम्बर प्लॉट का विक्रय पत्र नगर विकास प्रन्यास, चित्तौड़गढ़ द्वारा अपीलांट के हक में निष्पादित कर राजस्थान नगरीय कृषि भूमि का गैर कृषि प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन नियम के तहत भूमि का पट्टा विलेख संख्या 08/2017 अपीलांट के नाम का दिनांक 28.04.2017 को निष्पादित कर उसका पंजीयन उप पंजीयक, चित्तौड़गढ़ के यहां पेश कर पंजीयन करवा दिया गया तथा धारा 90–क या यू.आई.टी. एक्ट के किसी भी प्रावधान के तहत यू.आई.टी. को रजिस्टर्ड लीज डीड (पट्टा विलेख) को निरस्त करने का कोई अधिकार नहीं है। डोक्यूमेंट रजिस्टर्ड होने के बाद ऐसी लीजडीड को केवल धारा 31 स्पेशिफिक रिलीफ एक्ट के तहत तीन वर्ष के भीतर भीतर सक्षम न्यायालय से निरस्त करया जा सकता है। परंतु नगर विकास प्रन्यास, चित्तौड़गढ़ स्वयं निरस्त करने का कोई अधिकार नही होते हुए भी कथित प्लॉट की लीजडीड को निरस्त करने का आदेश दिया व बिल्कुल गलत होकर के बिना अधिकार के होकर काबिल निरस्त के है। प्लॉट नम्बर 22 को निरस्त किया गया उसके काफी समय पूर्व रेग्युलर वाद भी अपीलांट द्वारा रेस्पोडेंट संख्या 1 व नगर विकास प्रन्यास के विरूद्ध पेश किया गया था तथा उस दावे में रेस्पोडेंट्स के जवाब दावे भी पेश कर चुके है जब रेग्यूलर वाद चल रहा हो तो उन्हीं प्लॉटों के संबंध में नगर विकास प्रन्यास द्वारा समरी कार्यवाही नहीं की जा सकती है। परंतु नगर विकास प्रन्यास के कानून को हाथ में लेकर लीजडीड को निरस्त करने का आदेश दिया व वोईड है। नगर विकास प्रन्यास को अपने हाथ उसी समय रोक देना चाहिए जब उन्हें दावे की प्रति प्राप्त हुई। यह भी निर्विवाद है कि कथित प्लॉट के चारों ओर अपीलांट की पक्की बाउण्ड्रीवॉल बनी हुई है तथा उसके अंदर एक कमरा भी बना हुआ है जिसका उपयोग व उपभोग अपीलांट द्वारा किया जा रहा है। अगर दौराने कार्यवाही कोई ट्रांसफर या लीजडीड निरस्त करने या बहाल करने की कार्यवाही की जाती है तो वह लिसपेंडेंसी की परिभाषा में आती है तथा वह समस्त

की गयी कार्यवाही वोईड होती है। ऐसी स्थिति में नगर विकास प्रन्यास द्वारा पट्टा निरस्ती का आदेश एबइनिश्योवोइड है जिसे निरस्त किया जाना आवश्यक है। इस मामले में प्लॉट नम्बर 22 का उपविभाजन नगर विकास प्रन्यास द्वारा स्वीकृत कर दिया गया है तथा अनिल व सुनिल के प्लॉट को अलग अलग कर दिया गया है तथा इसका म्यूटेशन 22/1 व 22/2 के रूप में नगर विकास प्रन्यास में इन्द्राज हो चुके है तथा इसकी कार्यवाही सन् 2018 में ही हो चुकी है। इस कारण उपविभाजन के बाद प्लॉट नम्बर 22 रहता ही नहीं है ऐसी स्थिति में प्लॉट नम्बर 22 को निरस्त नहीं किया जा सकता है। नगर विकास प्रन्यास ने जिस किसी के दबाव में आकर जो प्लॉट नम्बर 22 अपीलांट को सूचित किए बिना व सुने बिना जो आदेश दिया गया वह एबइनिश्योवोईड होकर बिना अधिकार के है। जैसा कि उपविभाजन से स्पष्ट है कि मूल 22 नम्बर रहता ही नहीं है तो यू.आई.टी. द्वारा उसे निरस्त किए जाने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है वैसे रजिस्टर्ड लीजडीड को यू.आई.टी. को निरस्त करने का कोई अधिकार नहीं है। धारा 90–ए के तहत जो लीजडीड एक बार रजिस्टर्ड करवा दी जाती है उस लीजडीड को कभी भी निरस्त नहीं किया जा सकता है वह कम्पीटेंट कोर्ट से ही निरस्त कराया जा सकता है। इस मामले में स्वयं यू.आई.टी. द्वारा सक्षम न्यायालय में रेग्यूलर वाद में इस प्लॉट नम्बर 22 के संबंध में जवाब दावा पेश किया जा चुका है उसके बाद प्लॉट निरस्त कैसे किया जा सकता है। यू.आई.टी. द्वारा जैसे प्लॉट निरस्त नहीं किया गया हो तथा उसके बाद यू.आई.टी. ने स्वयं निमार्ण कार्य की स्वीकृति दी है तथा यह स्वीकृति दिनांक 25.01.2021 को दी गयी जिससे स्पष्ट है कि वास्तव में प्लॉट नम्बर 22 को कभी भी निरस्त नहीं किया गया है। नगर विकास प्रन्यास, चित्तौड़गढ़ द्वारा की गयी कार्यवाही एवं आदेश दिनांक 24.12.2020 बिना अधिकार के होकर काबिल निरस्त के है। क्योंकि प्राधिकृत अधिकारी एवं सचिव, नगर विकास प्रन्यास चित्तौड़गढ़ द्वारा कथित लीजडीड निष्पादित कर पंजीयन करा दिया

जाता है उसके बाद व फंक्ट्स ओफीसियों हो जाता है तथा उसे केवलमात्र दीवानी न्यायालय में स्पेशिफिक रिलीफ एक्ट की धारा 31 के तहत दावा पेश कर के ही निरस्त कराया जा सकता है। सुओ मोटो प्राधिकृत अधिकारी को कथित लीजडीड को निरस्त करने का कोई अधिकार नहीं है इस कारण सारी कार्यवाही एबइनिश्योवोईड होकर काबिल निरस्त के है। कानूनन धारा 90–क के तहत भी इस प्रकार की कार्यवाही करने का प्राधिकृत अधिकारी को कोई अधिकार नही होते हुए भी जो कार्यवाही की वह कानून के विपरीत होकर काबिल निरस्त के है। जब सक्षम न्यायालय में अपीलांट संख्या 2 द्वारा स्थाई निषेधाज्ञा का वाद पेश कर रखा है उस दौरान कोई भी कार्यवाही नहीं की जा सकती है क्योंकि वह लिसपेंडेंसी के सिद्धांत से बाधित है परंतु अधीनस्थ न्यायालय ने इस बात को नजरअंदाज करते हुए आदेश पारित किया वह बिल्कुल गलत होकर काबिल निरस्त के है। सन् 1994 में उप रजिस्ट्रार सहकारी समितियां, चित्तौड़गढ़ के यहां जो लिस्ट पेश हुई थी उसमें किसी भी व्यक्ति को हेर–फेर करने का कोई अधिकार नहीं होते हुए भी जो कार्यवाही की गयी वह बिल्कुल गलत होकर काबिल निरस्त के है। प्लॉट नम्बर 22 से रेस्पोडेंट संख्या 1 का दूर–दूर तक कोई संबंध नहीं है। प्लॉट 22 की लीजडीड अपीलांट के हक में निष्पादित की जाकर उसका पंजीयन दिनांक 27.04.2017 को अपीलांट के हक में करा दिया गया था उसके बाद प्राधिकृत अधिकारी एवं सचिव, नगर विकास प्रन्यास के पास कोई अधिकार नहीं बचे फिर भी प्राधिकृत अधिकारी एवं सचिव, नगर विकास प्रन्सास ने कानून को हाथ में लेते हुए जो आदेश पारित किया व बिल्कुल गलत एवं बिना अधिकार के होकर काबिल निरस्त के है। कथित लीजडीड वाला प्लॉट नम्बर 22 का नगर विकास प्रन्यास द्वारा उपविभाजन स्वीकृत कर लिया गया था एवं उपविभाजन प्रमाण पत्र भी जारी कर दिया गया था फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को कोई सूचना दिये बिना व सुने बिना जो आदेश पारित किया गया व बिल्कुल गलत एवं बिना

अधिकार के होकर काबिल निरस्त के है। अधिवक्ता अपीलान्ट द्वारा अपनी बहस के समर्थन में विविध दृष्टान्त एवं न्यायिक विनिश्चय क्रमशः U. I. T. (DIDPOSAL OF URBAN LAND) RULES 1974, R. B. J. 2012 Page 24, R. B. J. 2017 Page 171, R. B. J. 2017 Page 587, A. I. R. 2007 Page 73, R. R. T. 2018 Page 195, R. B. J. 2020 Page 644, R. R. D. 1993 Page 552 का हवाला प्रस्तुत करते हुए अपील अपीलांट स्वीकार फरमायी जाने बाबत निवेदन किया गया।

अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 1 ने अपनी बहस में बताया कि यह एक निर्विवादित कानूनी स्थिति है कि अपील का उपचार एक ऐसा विधिक उपचार है जो विधि में प्रावधित होने पर ही किसी को उपलब्ध होता है। अपीलार्थीगण ने नगर विकास प्रन्यास के निर्णय दिनांक 24.12.2020 के विरूद्ध आप न्यायालय में धारा 90–क (9) के तहत पेश की है, जैसा कि अपील के शीर्षक में अंकित है। अपीलाधीन निर्णय के अवलोकन मात्र से प्रकट है कि यह निर्णय धारा 90–क (9) के तहत पारित नहीं किया गया है, बल्कि अपीलार्थीगण के पक्ष में निष्पादित पट्टा विलेख संख्या 08/2017 की शर्त संख्या 9 के तहत पारित किया गया है, जिसका धारा 90–क से कोई संबंध नहीं है। धारा 90–क में पुनर्ग्रहण आदेश जारी होने/स्थानीय निकाय के नाम का नामांतरकरण निर्णित होने के साथ ही धारा 90–क प्रभावहीन होकर अप्रासंगिक हो जाती है। विदित रहे कि इस मामले में पुनर्ग्रहण आदेश जारी होना ही नहीं पाया जाता है। ऐसा क्यों और कैसे हुआ इस बारे में अपीलाधीन निर्णय में सारी बात विगत से अंकित है। अपीलाधीन निर्णय स्थानीय निकाय के नाम का नामांतरकरण निर्णित होने के बहुत ही बाद का है जिसे किसी भी सूरत में धारा 90–क में पारित आदेश कहा या माना ही नही जा सकता। इस प्रकार निर्णय दिनांक 24.12.2020 धारा 90–क में प्रावधित अपील योग्य निर्णयों की तारीफ में नहीं आता और ऐसे निर्णय के की अपील विधि अनुसार पोषणीय नहीं है। अपील निर्णय

दिनांक 24.12.2020 के विरूद्ध प्रस्तुत की है वह सारहीन होकर गुणावगुण पर स्वीकार नहीं फरमाई जायेगी और निरस्त होगी ऐसा प्रार्थीगण का सद्भावनापूर्ण एवं विनम्र विश्वास है। प्रार्थीगण का यह कथन कि उनके जितने की संभावना हो, से उनका दंभ मात्र ही है। प्रार्थीगण ने अपने पक्ष में निष्पादित जिस पट्टा विलेख क्रमांक 08/2017 दिनांक 26.04.2017 का सहारा लेकर अपील पेश किया है उसकी शर्त संख्या 9 बहुत ही महत्वपूर्ण है उपरोक्त शर्त के अनुसार यह सरासर निराधार एवं गलत कथन है कि सचिव, नगर विकास प्रन्यास, चित्तौड़गढ़ फंक्ट्स आफिशियों हो चुके हों। प्रार्थीगण अपने ही पक्ष में निष्पादित पंजीकृत दस्तावेज की उक्त शर्त से बाध्य है और इसके विपरीत कोई कथन करने से विबंधित है। सचिव, नगर विकास प्रन्यास ने जो भी कार्यवाही की है वह उन्होंने कानून के दायरे में रहते हुए और खुद प्रार्थीगण ने उन्हे उपरोक्त शर्त से जो अधिकार राजीखुशी दिया उसके अनुसार की है जिसे प्रश्नगत करने का प्रार्थीगण को कोई अधिकार नहीं है। प्रार्थीगण ने नगर विकास प्रन्यास और विपक्षी संख्या 1 के साथ छल करके उसे आवंटित भूखण्ड संख्या 22 हथियाने के लिये जो साजिश की उसका पर्दाफाश हुआ है उससे बचने के लिये प्रार्थीगण अब कुछ भी कह सकते है, जिसे उत्तर विचार मानकर अनदेखा किया जाना ही न्यायोचित है। इस बात से कोई फर्क नही पडता कि अपीलाधीन आदेश पारित करने के दिन सिविल कोर्ट में कानूनी कार्यवाही विचारधीन हो। एक तरह से नगर विकास प्रन्यास ने अपने घर का कूडा साफ किया है जो कि उसके अधिकार क्षेत्र में आता है और जो अधिकार खुद प्रार्थीगण ने उसे दिया है। सिविल कोर्ट में पेश वाद को नगर विकास प्रन्यास एक अस्थाई निषेधाज्ञा मानकर अपने ही घर को साफ नही करे, ऐसी अपेक्षा प्रार्थीगण को एक प्रतिष्ठित स्थानीय निकाय से नही रखनी चाहिये। जिनके खुद के हाथ मैंले हों, उनके लिये अब इस तरह की शिकायतों पर सुनवायी की कोई गुंजाइश नहीं है। प्रार्थीगण

के पक्ष में निष्पादित पट्टा विलेख 08/2017 दिनांक 26.04.2017 में अगर शर्त संख्या 9 नहीं होती तो विधिक स्थिति विचारणीय हो सकती थी, किन्तु इस शर्त के रहते हुए अंकित कथन गलत निराधार और असत्य होकर विचार योग्य है ही नहीं है। अपीलाधीन आदेश में प्रार्थीगण की उपस्थिति दर्ज है, उनके द्वारा रखा गया पक्ष मौजूद है जिससे ही जाहिर है कि सुनकर निर्णय पारित हुआ है। वैसे पट्टा विलेख 08/2017 दिनांक 26.04.2017 की शर्त संख्या 9 में ऐसी सुनवायी के लिये कोई बाध्य नही है। भूखण्ड संख्या 22 का पट्टा ही अस्तित्व में नही रहा तो इसके उप विभाजन के पश्चातवर्ती घटनाक्रम के आधार पर प्रार्थीगण किसी भी राहत के हकदार नही है। इस बात की न्यायिक अवधारणा की जा सकती है कि जब भूखण्ड संख्या 22 का पट्टा विलेख की निरस्त हो चुका हो तो उप विभाजन से प्रार्थीगण के पक्ष में कोई नये और स्वतंत्र अधिकार सृजित नही होते है, यानि पश्चातवर्ती घटनाक्रम स्वतः ही महत्वहीन हो जाता है। भूखण्ड संख्या 22 का असली हकदार विपक्षी संख्या 1 है और उसके पक्ष में आवंटन पत्र भी जारी हो चुका है इसलिये अगर ऐसे हितधारी को पट्टा दिया जा रहा हो तो प्रार्थीगण को इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नही करना चाहिए। प्रार्थीगण ने जिस तरह का आचरण एक स्थानीय निकाय के साथ किया है उसे देखते ही वह किसी साम्यापरक राहत का हकदार नहीं है। पट्टा विलेख के पट्टाधारी प्रार्थीगण 4 साल में इस तथाकथित पट्टे के आधार पर नगर विकास प्रन्यास से भवन निमार्ण की अनुमति प्राप्त कर प्रस्तावित भवन निमार्ण का नक्शा तक अनुमोदित नही करवा सके वे बाउण्ड्रीवाल बनाने और कमरे की बात करे तो ये विश्वास योग्य नहीं बल्कि एक और छल है जो वे प्रत्यर्थी संख्या 1 के साथ करने की चेष्टा कर रहे है। साथ ही अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाने बाबत निवेदन किया गया है।

अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 2 ने अपनी बहस में बताया कि प्राधिकृत अधिकारी एवं सचिव, नगर विकास प्रन्यास, चित्तौड़गढ़ द्वारा प्रकरण संख्या/(योजना) 02/2015 निर्णय दिनांक 24.12.2020 से की गई कार्यवाही पूर्णतः नियमानुसार है, अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाने बाबत निवेदन किया गया है।

प्रकरण में यह सुस्पष्ट है कि अपीलांट को दिनांक 15.02.2021 के पूर्व अपीलाधीन आदेश की जानकारी होने की कोई साक्ष्य उपलब्ध नही है अतएवं वर्णित तथ्यों एवं अखण्डित शपथ पत्र के आधार पर मयाद कण्डोन की जाती है।

अब हम अपीलांट की अपील के एक कन्टेन्ट पर विचार करते है अपीलांट ने यह अपील धारा 90–ए (9) राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत आदेश दिनांक 24.12.2020 के विरूद्ध पेश की है अपीलाधीन आदेश दिनांक 24.12.2020 के धारा 90–ए के तहत नही होकर आबादी के पट्टा संख्या 22 को निरस्त करने से संबंधित है। यह न्यायालय धारा 90–ए के तहत किसी खातेदार की भूमि समर्पण आदेश में हुई तथ्यात्मक एवं विधिक त्रुटि की अपील का श्रवणाधिकार रखता है। आश्चर्यजनक रूप से अधिनस्थ न्यायालय एवं अपील न्यायालय में धारा 90–ए राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की प्रति ही उपलब्ध नही है तथा अपीलाधीन आदेश भी 90–ए का नही होकर आबादी पट्टे संख्या 22 निरस्तीकरण के आदेश के विरूद्ध का है। दौराने बहस वकील अपीलांट को न्यायालय द्वारा पुछा गया कि विवादित आदेश का धारा 90–ए से किस प्रकार संबंध है तो उनके द्वारा अवगत कराया एवं तत्काल उसी दिनांक को एक लिखित आवेदन भी पेश किया गया कि अपीलांट की जो अपील प्रस्तुत की गई है एवं जो प्लॉट निरस्त किया गया है की नगर विकास प्रन्यास एक्ट में निगरानी लाई होती है अतएवं अपील को निगरानी मानी जाकर निगरानी को मेरीट पर सुना जाना आवश्यक है। अर्थात

अब प्रकरण में सिर्फ विषय यह रहता है कि अपीलांट द्वारा जो अपील धारा 90–ए राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के अंतर्गत नगर विकास प्रन्यास के आदेश 24.12.2020 के विरूद्ध पेश की गई उसे अपीलांट स्वयं संबंधित कानून, संबंधित धारा जो राजस्व नियमों से संबंधित है के स्थान पर एवं आश्चर्यजनक रूप से अपील के स्थान अन्य अधिनियम (नगर विकास प्रन्यास) में वर्णित धाराओं के तहत निगरानी माने जाने का स्वयं स्वीकारोक्ति करता है। यह तथ्यपरक स्थिति है कि विधि में प्रभावी राहत जो मांगी गई है वह महत्वपूर्ण होती है न की धारा व अपील शीर्षक। यहां पर तो अपीलांट ने राजस्व कानून में राजस्व धाराओं में प्रस्तुत अपील को स्वयं ही नगर विकास प्रन्यास कानून की धाराओं में इस अपील को निगरानी माने जाने का न्यायालय से आग्रह किया अपीलांट द्वारा निम्नानुसार न्यायिक नजीरे पेश की हैः– R. B. J. 2012 Page 24, R. B. J. 2017 Page 171, R. B. J. 2017 Page 587, A. I. R. 2007 Page 73, R. R. T. 2018 Page 195, R. B. J. 2020 Page 644, R. R. D. 1993 Page 552 जिनमें प्रमुखतया यह अभिनिर्धारित किया है कि पंजीकृत दस्तावेज को निरस्त करने का अधिकार सिर्फ सक्षम न्यायालय को है तथा प्रकरण में अपीलांट द्वारा इन नजीरों से अपने अपील में वर्णित बिना सुनवाई पट्टा खारिज करने, पट्टे का विभाजन हो जाने एवं पंजीकृत दस्तावेज हो जाने के संबंध में प्रस्तुत की इस प्रकार अपीलांट द्वारा अन्य न्यायिक नजीरे पेश की हैः– R. R. D. 1970 Page 546, D. N. J. (RAJ) 2021 Page 186, R. R. D. 1969 Page 20, R. R. D. 1982 Page 76, R. R. D. 1962 Page 206 जिसमें यह वर्णित किया है कि यदि चाही गई राहत अपील शीर्षक से संबंधित नही हो एवं न्यायालय रिविजन में सुनने की सक्षमता रखता हो तो एसे प्रकरण में न्यायालय को प्रस्तुत अपील रिविजन मानकर सुनवाई कर लेनी चाहिए।

प्रकरण में यह सुस्पष्ट हो गया है कि अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील को राजस्व कानून की अपील नही मानकर उसे नगर विकास प्रन्यास (नगरीय भूमि) का निष्पादन नियम 1974 के नियम 30 के

तहत निगरानी मानी जाकर इस न्यायालय से राहत चाहता है। प्रकरण में यह सुस्पष्ट है कि धारा 90–ए की कार्यवाही होने के बाद यह भूमि आबादी की हो जाती है एवं आबादी का हो जाने के बाद आबादी का पट्टा जारी व उसके बाद पट्टा निरस्त कर देने से संबंधित प्रकरण आबादी भूमि के दस्तावेजों के निस्तारण से संबंधित है। जिसका क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को नही है। अपीलांट ने इसी कारण अपनी राजस्व धाराओं की अपील नगरीय भूमि निष्पादन नियम 30 के तहत निगरानी माने जाने का अनुरोध किया जो विचित्र (Wierd) है एवं विशेष रूप से तब जब कि उक्त नियम 30 में भी क्षेत्राधिकार संभागीय आयुक्त को है एवं नगरीय निष्पादन नियम में संभागीय आयुक्त की परिभाषा में अतिरिक्त संभागीय आयुक्त शामिल नहीं है।

उपरोक्तानुसार यह न्यायालय अपीलांट द्वारा चाही गई राहत संबंधित राजस्व नियमों में राजस्व धाराओं एवं बकौल अपीलांट यदि निगरानी भी इसे मानी जाये तो भी अतिरिक्त संभागीय आयुक्त नियम 30 नगरीय निष्पादन नियम 1974 के अनुसार सुनवाई को सक्षम एवं अधिकृत नहीं है।

अपील अपीलांट क्षेत्राधिकार विहिन होने से खारिज की जाती है, अपीलांट सक्षम न्यायालय में चाराजोही कर अपनी राहत प्राप्त करने हेतु स्वतंत्र है।

एल.एन.मंत्री
अति.संभागीय आयुक्त
उदयपुर

मिसल शुमार फैसल हो, निर्णय सुनाया गया।

एल.एन.मंत्री
अति.संभागीय आयुक्त
उदयपुर